प्रगति प्रतिवेदन 2011–12

Tribal Development

Rural Development

Panchayti Raj

Health

SustainableLivelihood

Climate Change

Human Development

Right Based

Reg.No.IND/2033/95

सर्व हितैषी षिक्षण समिति, झाबुआ

49,षिद्वेष्वर कालोनी, झाबुआ–457661

मो. 09770295890 ईमेल: jhabuasarvahitaishi@gmail.com

सारणी

विवरण	पेज क्र.
I. प्राकृतिक परिचय	3
II. संस्था का परिचय	4
III. अजीविका का अधिकार	5
IV. स्वास्थ्य	6
V. वन अधिकार अधिनियम एवं मनरेगा	7
VI. पंचायती राज अधिनियम	8
VII. संस्था की जानकारी	9
VIII. संस्था की संरचना	10

प्राकृतिक परिचय

झाबुआ जिला इन्दौर संभाग के अंतर्गत म.प्र. दक्षिण–पष्चिम छोर पर स्थित है। आदिवासी बहुल इस जिले के उत्तर में इन्दैार अहमदाबाद, राजस्थान और रतलाम जिले है। पूर्व में धार जिला तथा दक्षिण में खरगोन व महाराष्ट्र की सीमायें इसे छुती है संपूर्ण झाबुआ जिला 6 विकासखण्डों में विभाजित है। सभी विकासखण्डों में आदिवासियों की छितरी हुई बसाहट है। सामान्य परिभाषा के अनुरूप यहां कोई भी गांव वास्तविक रूप से गांव नहीं है। प्रत्येक गांव दूर–दूर बनी झोपडियों के अनेक समूहों में 3–5 कि.मी. क्षैत्र में फैला रहता है। संस्था द्वारा चयनित क्षेत्र जिले के झाबुआ विकासखण्ड में स्थित है। यहां निवासरत जनजातियों में प्रमुख भील, भिलाला, व पटलिया है। भीलों की तुलना में पटलिया अधिक विकसित माने जाते है। शराब का सेवन यहां की संस्कृति में शामिल हैं। भगोरिया और गल का त्यौहार यहां बडे उत्साह से मनाया जाता है।

झाबुआ जिला पहाडी क्षेत्र है। जो विध्यांचल तथा मालवा के पठारी क्षेत्र में है। झाबुआ एक सूखा ग्रस्त क्षेत्र है, जहां कि औसत वर्षा 786 प्रतिषत है, और जिसमें से 29 से 37 तक की परिवर्तनीयता है। सतही जल का कोई सतत स्त्रोत नहीं है तथा भुमिगत,जल का स्तर भी अत्यंत कम है। जिले में अधिकांष भूमि पथरीली है। अल्प सिंचाई व्यवस्था के कारण वर्ष में केवल एक फसल ही ठीक से ली जा सकती है। यहां बोई जाने वाली फसलों में मक्का, चावल, गेहुं कुछ तिलहन व कपास प्रमुख है। कृषि में लाभ के अंष का गिरना, जिले में एक हालात पैदा कर रहा है, परिणामस्वरूप वे लोग जो खेती में निर्भरता प्राप्त नहीं कर पाते है, मजदुरों की जमात में शामिल होने के लिए मजबूर है। यहां के अधिकांष किसानों के पास बहुत कम भूमि है। वर्ष में एक फसल लेने के पष्चात अक्टूबर से जून माह तक वे अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु पलायन कर जाते है। बडे पैमाने पर होने वाले मौसमी पलायन ने बच्चों की षिक्षा प्रभावित की है। इसी कारण साक्षरता में जिला पिछडा है। झाबुआ के आदिवासी का पलायन लाभ के उद्धेष्य से नहीं है वरन यह तो गरीब आदमी की स्वयं को बचाने की मजबूरी हैं।

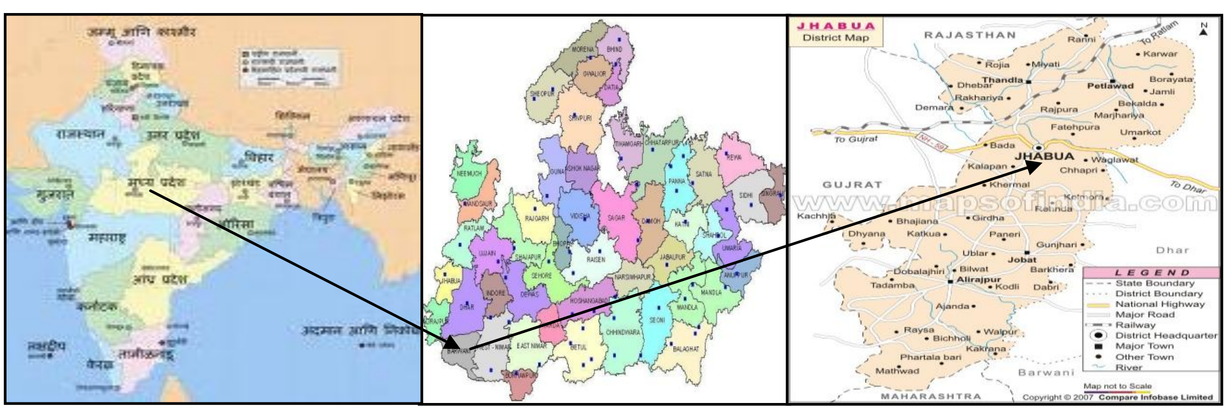

संस्था परिचय

सर्व हतैषी षिक्षण समिति की स्थापना सन् 1995 में स्थानिय,सामाजिक गतिविधीयो को संचालित करने बाले लोगों के द्वारा की गई थी। झाबुआ जिला आदिवासी समुदाय का होकर पिछडा हुआ है, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक कुरीतियां समाज को एकजुट करने में बाधक हो रही है। इन सारी बातों को कैसे दूर किया जाए एवं कैसे यहॉ का सर्वागिण विकास हो इस पर पर एकमत होकर संस्था अनेक कार्य कर रही है। यहॉ अस्थाई/स्थाई रूप से किये गये कार्यो को देखकर उनसे जो अनुभव मिला, उनमें परिवर्तन करते हुए स्थानिय भाषा, स्थानिय परम्परा, स्थानिय अर्थव्यवस्था को देखते हुए एवं लोगों के अधिकार के लिये लडते हुए लोगों को प्रेरित कर, अजीविका, अधिकार, स्वास्थ्य, षिक्षा एवं आदिवासी समाज की परम्परा को लेकर समाज को प्रगतिषील बनानें का कार्य जारी है।

<u>अजीविका का अधिकार</u>– सरकार द्वारा लोगों की अजीविका सुनिश्चित करने के लिये अनेकों योजनाओं को लागू किया है लेकिन आदिवासी समुदाय में शिक्षा का अभाव होने के कारण वह उन योजनाओं को समझ नही पाते और उन योजनाओ को प्राप्त करने की जानकारी उनके पास न होने के करण वह उन योजनाओं से वंचित रह जाते है जो सरकार ने उनके लिये लागू कर रखी है ऐसी योजनाओं को उन लोगों तक पहुॅचाने एवं उन्हे जागरूक करने का कार्य संस्था द्वार किया जा रही है जिससे गरीव एवं वंचित समुदाय की आजीविका सुनिश्चित हो सके चाहे वह विधवा पेंशन की योजना हो वृद्वा पेंशन योजना, विकलांग पेशन योजना, कृषि आधारित योजना एवं अन्य योजनाओं की लोगो को जानकारी देकर जागरूक कर इन योजनाओं का लाभ वंचित समुदाय को दिलानें का कार्य संस्था द्वार किया जा रहा है।

अजीविका की सुनिश्चिता आज के समय में प्रत्येक परिवार के लिये आवश्यक है जिसके लिये संस्था द्वारा किसानो को कृषि विकास की योजनाओ से जोड किसानों को एक मंच पर एकत्रित करने के लिये किसानों की बीज सहकारी समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है जिससे स्वयं किसानो द्वारा अच्छे स्थानीय बीज का उत्पादन किया जाये और उस बीज से लम्बे समय तक उत्पादन प्राप्त कर स्थानिय बीज को बडोतरी दी जाये। जिसके माध्यम से किसान समिति के माध्यम से बीज प्रमाणीकरण बेच सकते है और कृषी विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर कई कृषी सम्वन्धि कार्य कर सकते है।

स्वयं सहायता समूहो का गठन कर उन्हे अपनी आजीविका प्राप्त करने योग्य बनाने का कार्य भी संस्था द्वारा किया जा रहा जिससे प्रत्येक वंचित समुदाय की आजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। संस्था द्वारा 40 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसके माध्यम से 450 सदस्य संगठनों में जुड़कर छोटी छोटी बचत करके आर्थिक रुप से मजबूत हो रहे है। समय समय पर समूह से सदस्यों द्वारा ऋण लिया जाता है जिससे वह अपनी आवष्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान करते है और छोटे व्यवसायों से जुड़कर सषक्त हो रहे है। इसके अतरिक्त समूह के माध्यम से सदस्य षासकीय योजनाओ से जुड़कर उनका लाभ ले रहे है।

स्वास्थ्य

टी.बी. जागरूकताः– संस्था के द्वारा सी.बी.सी. आई कार्ड के सहयोग से रानापुर ब्लॉक के सभी गॉव में अक्षया प्रोजेक्ट के अन्तर्गत टी.बी. जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका उद्वेश्य है कि लोगों को टी.बी की बीमारी के बारें मे जागरूक कर गॉवों को टी. बी. मुक्त बनाना। जिसके अन्तर्गत संस्था द्वारा रानापुर ब्लॉक के प्रत्येक गॉव में गठित ग्राम स्तरिय समितियों जैसे ग्राम स्वास्थ्य तदर्थ समिति, ग्राम पंचामत समिति, एवं गॉव के जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर उन्हे टी.बी. के वारें जागरूक किया जा रही है जिससे बह अपनें गॉव में टी.बी. के बचाओ के लिये कार्य कर सके साथ साथ गॉव मे ऐसे लोग दो सप्ताह से ज्यादा खॉसी से ग्रसित है और वह व्यक्ति जो टी.बी. के संधिग्द मरीज लगते है उनकी जॉच कराकर पीडित पाये जाने पर डॉट्स का इलाज सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र से कराया जा रही है साथ साथ टी.बी. संधिग्द लोगों को जॉच के लिये स्स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर कर जॉच की सलाह देकर प्रेरित किया जा रहा है और ऐसे मरीज जो जॉच के लिये स्वास्थ्य केन्द्र तक नही जा सकते उन लोगों की खकार लेकर संस्था के कार्यकर्ता जॉच के लिये स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुचाते है इस प्रकार से रानापुर ब्लॉक के 30 गॉव में इस प्रकार से कार्यक्रम किये जा चुके है।

स्वास्थ्य शिविरः– गॉव मे फैल रही बीमारियों का समय समय पर ध्यान रखते हुए संस्था द्वारा स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया जिसमे कई बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर इलाज के लिये जिला अस्पताल से इलाज कराया गया इस कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग का सहयोग लेकर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन संस्था द्वारा किये जाते है एवं इस कार्यक्रम में तराशी स्त्रोत केन्द्र भोपाल के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है झाबुआ जिले में ऐसे क्षेत्र जहॉ स्वास्थ्य सुविधाऍ आसानी से नही मिल पाती उन जगहों पर शिविर का आयोजन किया गया।

<u>पेक्स परियोजना</u> (पुअरेस्ट एरिया सिविल सोसायटी) –मुद्दा वन अधिकार अधिनियम एवं मनरेगा

पेक्स परियोजना डी.एफ.आई.डी. के सहयोग से रानापुर व्लॉक के 44 गॉव में संचालित की जा रही रही है जिसमे संस्था द्वारा वन अधिकार अधिनियम एवं महात्मॉ गॉधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के बेहतर कियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कार्य कर रही है पेक्स परियोजना का उद्वेश्य है कि लोग अपने अधिकारों के लिये स्वंय आवाज उठाऍ और उन्हे प्राप्त करे।

जल,जंगल,जमीन और प्राकुतिक संपदा पर आदिवासीयों का कई बर्षो से अधिकार चला आ रहा है जिस जंगल,जमीन पर रहकर वह उसकी रक्षा करते है और उसी से अपनी आजीविका चलाते है आज उसी अधिकार से उन्हे वंचित किया जा रहा है और वह जमीन व अधिकार उनसे छीने जा रहे है उन अधिकारो को दिलाने के लिये संस्था द्वारा प्रयास किये जा रहे है, वन क्षेत्रो में जहॉ वास्तविक रूप से उस जमीन के हकदार है उन लोगो को जागरूक कर अधिकार पत्र दिलानें के लिये आवेदन कर उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लियें कार्य किया जा रहा है। ग्राम वन अधिकार समिति जो वन अधिकार अधिनियम की एक महत्वपूर्ण इकाई ग्राम स्तर पर उनकी क्षमतावृद्वी प्रशिक्षण किये जा रहें है जिससे वह वन अधिकार अधिनियम मे अधिकारों की सुनिश्चिता हेतु अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

परियोजना के अन्तर्गत अब तक इस वर्ष मे 40 स्वयं सहायता समूहों का गठन अलग अलग गॉव में किया गया है संस्था द्वारा उन समूहो की वन अधिकार अधिनियम एवं मनरेगा पर प्रशिक्षण कर क्षमतावृद्वी का कार्य किया जा रहा है जिससे लोग समूह में जागरूक होकर अपने अधिकारों की मॉग कर सकें एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की अजीविका सुनिश्चित करने के लिये योजनाओं से जोडकर आत्मनिर्भर वनाया जा रहा है इस वर्ष मे 200 से अधिक लोगों को मनरेगा मे काम की मॉग करने एवं काम दिलाने का कार्य किया गया है। स्वयं सहायता समूह एक ऐसी इकाई है जिसमे गॉव के लोग एक मंच पर जुडकर अपनें अधिकारो की मॉग कर सकते है और अपनी आजीविका सुनिश्चित कर सकते है समूह के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है जिससे मलिलाऍ स्वयं अपने अधिकारों के लिये आगे आ सकें।

पंचायती राज अधिनियमः– पंचायती राज अधिनियम 1992 में बनाया और और जिसमे ग्राम पंचायत को गॉव की सर्वोच्च इकाई माना गया और अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामयभा को विशेष अधिकार दिये गये लेकिन 20 वर्ष गुजरने के बाद के बाद पंचायती राज को नियम से गॉव में लागू नही किया जा रहा आज भी गॉव मे लोग ग्रामसभा का मतलव नही समझते है और ग्रामसभा के अधिकारो के बारे में जागरूक नही है जिससे आज भी लोग अपने मुद्दो एवं फैसलो कों ग्रामसभा में नही रख पाते है।

सर्व हितैषी शिक्षण समिति एवं तराषी स्त्रोत केन्द्र के सार्थक प्रयासों से झाबुआ ब्लॉक के 6 पंचायतों भीमफलिया, नवागांव, ढेवर, देवझिरी, खेडी एवं डूंगरालालू में ग्राम पंचायत सशक्तिकरण का कार्य कर रही है संस्था द्वारा 6 पंचायतों से 60 लोगो को चयनित किया और उनके साथ ग्रामसभा सशक्तिकरण का कार्य कर रही है जिसके अन्तर्गत चयनित लोगों को प्रशिक्षित किया गया जिससे वह अपने गॉव की ग्रामसभा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और साथ साथ गॉव के और लोगों का ग्रामसभा के लिये आगे ला सके। गामसभा की भूमिका, ग्रामसभा के अधिकार, ग्रामसभा के नियम एवं ग्रामसभा में लोगों की भूमिका को जानकर ग्राम नवागॉव के लोग ग्रामसभा के लिये पूरी तरह से सशक्त हो गये है और ग्रामसभा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 (पेसा कानून) एवं श्ध्यप्रदेश अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा (गठन सम्मिलन की प्रकिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के अन्तर्गत अलग ग्राम सभा गठन के बारे में आदिवासी समुदाय को जानकरी देकर ग्रामसभा गठन कर आदिबासी परम्पराओं जैसे परम्परागत न्याय प्रणाली एवं जल, जंगल जमीन पर अधिकार पर समुदाय को सशक्त कर आदिवासी समुदाय के पारम्परिक अधिकारो के लिये झाबुआ जिले में कार्य कर रही है क्योंकि पेसा कानून ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आदिवासी समुदाय को उनके वास्तविक अधिकार मिल सकते है।

संस्था की जानकारी

Registration	IND/2023/95 Dated 05.04.1995
Contact Person	Azhar Ulla Khan (Secretary)
Contact No.	09770295890, 08959619004
Registered Address	49, Sidheswar Colony, Jhabua 457661 M.P.
E-Mail	jhabuasarvahitaishi@gmail.com
FCRA	063320017 Dated 07.05.2004
PAN	AAEAS7272H
12A	Yes
Other Registration	Expempted Under Income TaxAct 1967, (80G) 5(VI)

अनुदानकर्ता संस्था

Funding Agency	**Project**
DFID	PACS Project for FRA and MGNREGA
CBCI- CARD	Axshaya Projct for T.B. Awerness

साथी संस्थाएॅ

आदिवासी चेतना शिक्षण सेवा समिति, झाबुआ

तराशी स्त्रोत केन्द्र, भोपाल

मध्यांचल फोरम

लोक आजीविका अधिकार महासंघ, म.प्र.

ORGANISATION STRUTURE

SARVA HITAISHI SHIKSHAN SAMITI

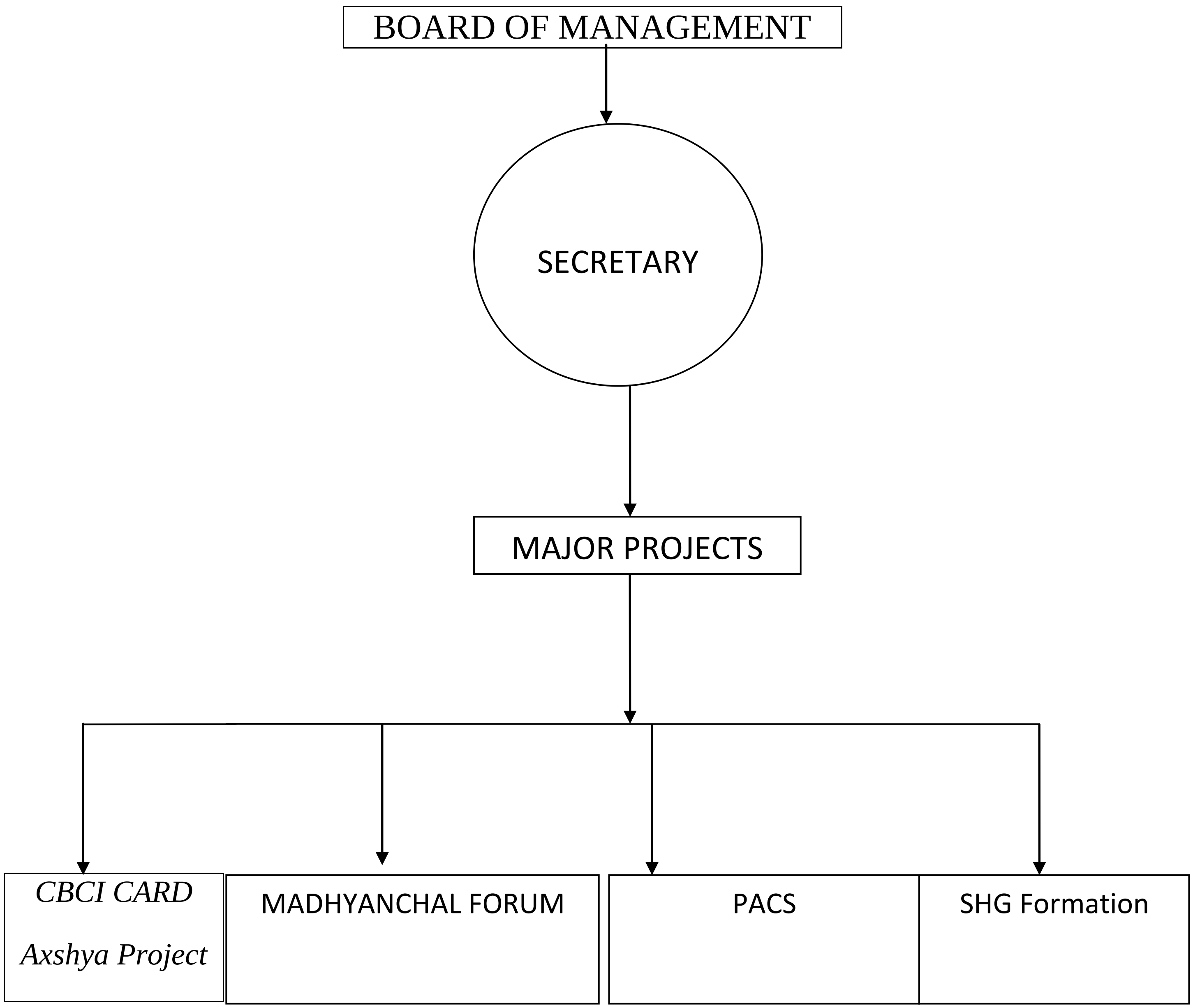

Tkans for Your Kind Support